भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 1366</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

<u>दिशानिर्देशों/मानदंडों का उल्लंघन</u>

†1366. श्री भर्तृहरि महताब

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मूल्यांकन महानिदेशालय द्वारा अवमूल्यित/अधिमूल्यित निर्यात/आयात की निगरानी के लिए क्या दिशा-निर्देश/मानदंड जारी किए गए हैं;

(ख) क्या देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त दिशा- निर्देशों/मानदंडों के उल्लंघन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक सरकार द्वारा ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देशभर में ऐसे अवमूल्यित/अधिमूल्यित निर्यात/आयात के कारण राजस्व घाटे का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उल्लंघनकर्ताओं से ऐसी हानि की वसूली किस प्रकार की जाएगी; और

(च) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)</u>

(क): मूल्यांकन महानिदेशालय विभिन्न वस्तुओं के बारे में अध्ययन करता है और आंकलन अधिकारियों को वस्तुओं के मूल्यांकन के सत्यापन में मार्ग-दर्शन के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है । सजगता/मूल्यांकन दिशा-निर्देशों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष	जारी किए गए सजगता/मूल्यांकन दिशा-निर्देशों की संख्या
2016-17	14
2017-18	13
2018-19	12
2019-20 (31 जनवरी, 2020 तक)	07

(ख) से (च): जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

*****